



पत्रांक : १४०४/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/पी०एफ०

दिनांक 14.10.2014

कार्यालय ज्ञाप

श्री रजनीश कुमार (411134334) तत्कालीन सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)/उपखण्ड अधिकारी-प्रथम, विद्युत वितरण खण्ड, लोनी को दिनांक 09.06.2014 से अपने कार्य स्थल से अनुपस्थित होने तथा उनके विरुद्ध धारा-306 के अन्तर्गत एफ०आई०आर० संख्या-899/2014 दिनांक 09.06.2014 पंजीकृत होने के कारण इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 8515/प०वि०वि०नि०लि०/मेरठ/एसओ/पी०एफ० दिनांक 26.08.2014 के द्वारा दिनांक 09.06.2014 से निलम्बित अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद से सम्बद्ध किया गया था। मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद के पत्रांक 2189/मु०अ०/गा०बाद क्षेत्र/गा० दिनांक 20.09.2014 के द्वारा श्री रजनीश कुमार के दिनांक 30.08.2014 को कारागार से रिहा होने के बाद दिनांक 31.08.2014 को कार्यभार ग्रहण करने पर इस प्रकरण पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री रजनीश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) निलम्बित को उक्त अभियोजन में लिये जाने वाले निर्णय के प्रतिबन्धाधीन एतद्वारा कारपोरेशन की सेवा में पुनर्स्थापित किया जाता है। निलम्बन अवधि के वेतन एवं भत्तों के सम्बन्ध में उक्त अभियोजन में लिए गये निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री रजनीश कुमार, सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) निलम्बित के पुनर्पदस्थापन के उपरान्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के प्राविधानों के अनुसार मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे।


विजय विश्वास पन्त
प्रबन्ध निदेशक

श्री रजनीश कुमार (411134334),
सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)/(निलम्बित),
विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद।

पत्रांक : १४०४ /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तददिनांक 14.10.2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- पंजीकृत**
1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
 2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद को उनके पत्रांक 2189/मु०अ०/गा०बाद क्षेत्र/गा० दिनांक 20.09.2014 के सन्दर्भ में।
 3. मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
 4. अधीक्षण अभियन्ता, (डी०पी०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
 5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद।
 6. संयुक्त सचिव (अनु०का०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 7. उप सचिव (अ०प्र०-01/02/03/04/गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 8. लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
 9. सम्बन्धित अधिकारी।
- पंजीकृत**


(एस०के० गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर